तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30.7.21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 17.8.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
17.8.21	पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये। तहसीलदार माण्डल पटवार हल्का पीथास द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील वादिया ने बहस करनी चाही। वकील वादिया की बहस सुनी गयी। वकील वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:21:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या – 214/20 प्रा॰पत्र
1– श्रीमती केशर बाई w/o श्री तुलसीराम गाडरी निवासी गांधीनगर भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री देवीसिंह s/o नाथुसिंह राजपूत निवासी पुरानी आमरगढ़ तह॰ मांडल (कोटा) ([illegible])

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 17.08.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.........पीथास.........पटवार हल्का.........पीथास.........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न. 2703, 30, 52, 53, 54 कुल किता.........05.........रकबा.........1.4796 बीघा हैक्टेयर.........बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.........14.12.20.........को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.........पीथास पटवार हल्का.........पीथास.........तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.........2703, 30, 52, 53, 54.........कुल किता.........05.........रकबा.........1.4796 बीघा हैक्टेयर.........बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक.........पीथास.........को.........500/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में मौके की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर .... विवाद खड़ा होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:21:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा